

पुनर्निर्देशन / रीकार्ड

क्रमांक: 212 R T

हकूम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

दि. 28/2016

नम्बर 1 तारीख  
अहमदाबाद जो इस  
हकूम की तामीन  
में जारी हुए

8/9/21

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता  
उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को  
लोक अदालत में रफर करने हेतु  
दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण  
लोक अदालत में रफर किया जाता है  
पक्षकारान दि. 20/10/21 को लोक  
अदालत में उपस्थित हो।

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
खीवसर

20/10/21

उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन  
गांवों के संग अभियान-2021, केम्प कोर्ट प्राय  
पंचायत, ~~Kalabandi~~ में पेश हुआ। उपस्थित  
पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया  
गया। पक्षकारी के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति  
नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में  
दिनांक 23/3/22 को पेश हो।

पीजसोन अधिकारी  
प्र.प्र.के.अ. 2021  
उपस्थण्ड अधिकारी  
खीवसर

23/3

पत्रावली ~~पेश हुई।~~  
पीजसोन अधिकारी की मीटिंग में/  
धमणा में हे/ स्थानान्तरण हो चुका है/  
अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी  
दिनांक को 2/6/22 को पेश हो।

07-4-22

प्रशासनिक निवेदन पर पत्रावली  
लिख-येका हुई। प्रशासनिक निवेदन दिना  
क्रमांक 212 R.T. अतः के मय राजस्व  
के लुका है। तथा में 26-प्र.पत्र  
पीड 212 R.T. अतः के मय राजस्व  
गंभीर-यादनाई नसाजामि विज्ञापन  
लाभिककराक-यका नाई को-के-  
पुनः में भेजे-विद्वानों ने-प्रतिकार में-  
मनीष-के-7 वीरानुमि-वेरकर-प्रति-  
पत्रावली-राशि-प्रदास-करदी-में-मेका-

अध्यक्ष

पुससिद्ध के लिए निर्देश

तारीख  
हुक्म

पु/स 212 RTI  
हुक्म का कार्यावाही मय इनिशियलस जज  
28/2016

रजिस्ट्रार के कार्यालय में  
विचार के लिए शेष, इतिहास में इस  
प्राप्त के लिए चलाया गया है  
इसके अलावा प्रमाण के तहत  
उक्त प्रकरण पर 212 RTI का  
कोरिप (पारिने विज्ञाप) किया गया  
है प्रमाण के अभाव में सुधार के लिए  
आवश्यक सही सफाई की

पुससिद्ध

महायुक्त  
ISRO, खास